अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर
पीठासीन अधिकारी संदेश नायक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2025 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

धन्नालाल पुत्र कुन्दनमल, जाति जैन, निवासी शान्ति निकेतन, नगरपालिका मण्डल के सामने, फुलेरा, तहसील सांभरलेक, जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

संदीप जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन, निवासी शान्ति निकेतन, नगरपालिका मण्डल के सामने, फुलेरा, तहसील सांभरलेक, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 15 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.04.2019 उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक प्रकरण संख्या 08/2017 ब उनवानी धन्नालाल बनाम संदीप जैन।

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 30.04.2026**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 08/2017 ब उनवानी धन्नालाल बनाम संदीप जैन में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी प्रतिनिधि उपस्थित है। प्रत्यर्थी की ओर से प्रतिनिधि अभिभाषक श्री कृष्ण कुमार पारीक उपस्थित। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–5 (1) (क)(ख) माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी कृषि विभाग से सेवानिवृत अधिकारी है। अपीलार्थी अपने शांति निकेतन निवास में अपने तीन पुत्रों के परिवार एवं बडे पुत्र राजेन्द्र कुमार के पुत्र संदीप जैन व उसकी पत्नी टीना जैन एवं उनके पुत्र दक्ष जैन के साथ निवास करता है। अपीलार्थी ने वर्ष 1985 में अपनी पत्नी के नाम एक प्लाट क्रय कर तीन मंजील भवन का निर्माण करवाया है। प्रत्यर्थी स्वयं शान्ति से नहीं रहता है तथा परिवार को भी शान्ति से नहीं रहने देता है। प्रत्यर्थी ने अपने अनैतिक मन्सुबो से प्राथी की सम्पति को कब्जे में करने लगा है जिसके चलते अपने कमरे के अतिरिक्त भवन के चार पांच कमरों व दो दुकानो में अपना अनुपयोगी समाना रखा है बार बार आग्रह करने पर भी सामान नहीं हटाता है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2019 कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण संशोधित किये जाने योग्य है, क्योंकि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट

जिला मजिस्ट्रे. (कलक्टर) जयपुर

रूप से अंकित किया है कि अपीलार्थी ने स्वअर्जित सम्पति है जिस पर उसका मालिकाना हक प्राप्त है। माता पिता एवं वृद्ध नागरिकों भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एक लाभार्थी अधिनियम है जिसके माता पिता एवं वृद्धजनो की सुरक्षा और उनके लाभ के लिये बनाया गया है। यदि उक्त अधिनियम का उपयोग माता–पिता व वृद्धजनों की सुरक्षा के लिये नहीं किया गया तो उक्त अधिनियम का कोई महत्व नहीं रह जाता हैं। प्रत्यर्थी द्वारा एक पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र संख्या 20/2019 दिनांक 18.10.2019 को अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया लेकिन आज दिनांक तक अधीनस्थ अधिकरण ने कोई आदेश पारित नहीं किया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2019 को संशोधित कर प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के आवासीय परिसर से तुरन्त निष्कासित कर उक्त परिसर का कब्जा अपीलार्थी को संभलाये जाने के आदेश फरमावे जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी प्रतिनिधि ने बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी का पौत्र है तथा अपीलार्थी के चार पुत्र जिनकी प्रथम जिम्मेदारी अपीलार्थी की सेवा करने की बनती है। अपीलार्थी को करीब 50,000 हजार रूपये मासिक पेंशन मिलती है, इसके अतिरिक्त दुकानों का किराये एवं नांवा जिला नागौर में साल्ट के क्याह से आय भी होती है। प्रत्यर्थी के चाचागण तथा उनके बेटो ने प्रत्यर्थी को परेशान करने के लिये अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रकरण पेश किया गया था। प्रत्यर्थी एवं उसकी पत्नी ने दादी जी की भी सेवासुश्रुषा की है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी को उसकी दादी द्वारा दी गई सम्पति से बेदखल करना चाहता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण संख्या 3 व 4 ने जवाब पेश किया कि विवादित प्लाट अपीलार्थी द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से क्रय किया गया है, जिसका जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी के हक में पट्टा जारी किया गया है। उक्त प्लाट में प्रत्यर्थीगण एवं उनके किसी भी विधिक वारिसान का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, एवं प्रकरण में अंकित अन्य प्रत्यर्थीगण उक्त विवादित प्लाट का कब्जा छोडते है तो प्रत्यर्थी संख्या 3 जिस हिस्से में रहता है उस हिस्से का कब्जा छोडने को तैयार है।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

उभय पक्ष को सुनने, पत्रावली का अवलोकन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा केवल मात्र प्रत्यर्थी को सम्पति से बेदखल किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी का आपस में उक्त सम्पति का विवाद है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अधिनियम में अपनी सुविधानुसार आधार बनाकर प्रत्यर्थीगण को विवादित सम्पति से बेदखल करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। संपति विवाद हेतु अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner